पत्र सं0–6एस0एस0(6)57/2013 173/

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र नारायण महतो,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 20/1/2014

XX

अनौपचारिक रूप से **XX**

परामर्शित द्वाराः– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2013–14 में मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना अन्तर्गत मत्स्य विकास योजना के कुल 6 प्रकल्पों पर कुल ₹ 5820.08 लाख (अन्ठावन करोड़ बीस लाख आठ हजार) मात्र की लागत पर योजना के कार्यान्वयन हेतु व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2013–14 में मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना अन्तर्गत मत्स्य विकास योजना के कुल 6 प्रकल्पों पर कुल ₹ 5820.08 लाख (अन्ठावन करोड़ बीस लाख आठ हजार) मात्र की लागत पर योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है (योजना का विस्तृत व्यय विवरणी–'क' एवं 'ख' संलग्न)।

2) इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि रोड मैप के अनुरूप राज्य में मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि के लिए मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने एवं मत्स्य व्यवसाय से जूड़े हुए किसानों/मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता एवं शोध तथा नवीनतम तकनीक का प्रचार–प्रसार करना है ताकि राज्य मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सके।

3) मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना अन्तर्गत मत्स्य विकास योजनाओं के कार्यान्वयन से निम्नलिखित लाभ होने की संभावना हैः–

(i)मत्स्य उत्पादकों को प्रारम्भिक चरण में अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता देकर मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि हेतु प्रोत्साहित करना।

(ii)मत्स्य पालकों को मत्स्य व्यवसाय के लिए बैंक के माध्यम से सब्सिडी युक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित करना।

(iii)मत्स्य पालकों को इस योजना के तहत निर्धारित प्रकल्पों पर सब्सिडी दोनों स्थिति में देय होगा। यदि लाभूक बैंक से ऋण लेता हो, अथवा परियोजना पर स्वयं वहन करता हो।

(iv)राज्य मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा।

(v)स्वरोजगार का सृजन होगा।

4) मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना के महत्वपूर्ण अवयव एवं प्रकल्प निम्न प्रकार है जिन प्रकल्पों पर मत्स्य पालक किसान को सब्सिडी देय होगाः–

i) **<u>आर्द्र जलक्षेत्र (चौर आदि) का मत्स्य पालन हेतु विकास</u>**

राज्य में 5 लाख हे0 से अधिक आर्द्र जल क्षेत्र उपलब्ध है। इन जलक्षेत्रों को विकसित कर मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालकों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दिया जायेगा। इस योजना के तहत निजी मन, चौर, टाल, ढ़ाब आदि आर्द्र भूमि को भी विकसित करने हेतु सब्सिडी दिया जायेगा। इस योजना के तहत एक हैक्टेयर में तालाब निर्माण की आकलित मूल्य ₹ 3.88 लाख है। इसका 50 प्रतिशत 1.94 लाख सब्सिडी के रूप में अनुदान लाभूकों को देय होगा। यह योजना निजी भू–स्वामियों के स्वामितत्व आर्द्र जल क्षेत्र में भी की जा सकेगी। इस योजना का लाभ वे किसान या किसानों के समूह जो अन्य किसानों से पट्टे पर जमीन लेकर मत्स्य पालन करते हो इन्हें भी सब्सिडी के रूप में 50 प्रतिशत अनुदान की सुविधा प्रदान की जायेगी। वशर्ते कि (क)किसान या किसानों के समूह के पास कम से कम 10 वर्ष का निबंधित डीड का वैध कागजात हो (ख) इस योजना के अन्तर्गत किसी भी औद्योगिक या कॉरपेट इकाई को सब्सिडी के

रूप में अनुदान देय नहीं होगा। इस वित्तीय वर्ष में 2131.48 हैक्टेयर आर्द्र जल क्षेत्र में नये तालाबों के निर्माण कराने का लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है।

ii) **<u>निजी सहभागिता से फिश फिड मिल का निर्माण –</u>** कृषि रोड मैप के अनुसार राज्य में फिश फीड मिल का निर्माण अनुदानित दर पर किया जाना है। फिश फिड मिल की इकाई की स्थापना लागत ₹ 12.00 लाख रू0 अनुमानित है जिसका 50 प्रतिशत यानि ₹ 6.00 लाख रू0 अनुदान, सब्सिडी के रूप में लाभूक को दोनों स्थिति में दिया जायेगा, यदि वे बैंक से ऋण ले अथवा स्वयं परियोजना पर व्यय करें। यह अनुदान one-time लाभार्थी को सिर्फ मशीन पर देय होगा।

iii) **<u>निजी सहभागिता से फ्लोटिंग फिश फिड मिल की स्थापना –</u>** राज्य में फ्लोटिंग फिश फिड मिल की इकाई की स्थापना की जायेगी। जिसका लागत मूल्य ₹ 120.00 लाख अनुमानित है। फिश फिड मिल की स्थापना पर चयनित लाभार्थी को कुल परियाजना लागत का 20 प्रतिशत यानि ₹ 24.00 लाख अनुदान, सब्सिडी के रूप में तथा शेष राशि स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से लाभुकों द्वारा प्राप्त कर स्थापित किया जाएगा। यह अनुदान केवल मशीन के क्रय पर लाभार्थी को one-time दिया जायेगा।

iv) **<u>निजी सहभागिता से मत्स्य हैचरी का निर्माण –</u>** कृषि रोड मैप के अनुसार राज्य में हैचरी के निर्माण पर 50 प्रतिशत अनुदान सब्सिडी के रूप में दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। हैचरी की इकाई लागत ₹ 15.00 लाख आकलित है जिसका 50 प्रतिशत यानि ₹ 7.50 लाख अनुदान सब्सिडी के रूप में तथा शेष राशि स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा। यह सुविधा लाभार्थी को one-time होगी। हैचरी का न्यूनतम 8–10 मिलियन फ्राई वार्षिक क्षमता एवं तीन एकड़ भूमि में निर्मित होने पर यह सुविधा देय होगी। इस वर्ष 50 मत्स्य हैचरी के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों पर पीपीपी मोड से हैचरी निर्माण करने वाले लाभार्थी को भी 50 प्रतिशत अनुदान इस प्रकल्प के तहत देय होगा। इस वित्तीय वर्ष में 5 फ्लोटिंग फिश फिड मिल के निर्माण का लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित है।

v) **नये तालाब का निर्माण–** इस योजना का कार्यान्वयन निजी क्षेत्रों में किया जाएगा। इस योजना में 5'(पाँच फीट) मिट्टी यांत्रिक संसाधन से कटाई कर तालाब का निर्माण किया जायेगा। एक हेक्टेयर के तालाब निर्माण की आकलित लागत ₹ 6.972 लाख (₹ छः लाख सन्तानवे हजार दो सौ मात्र) होगी तथा इसका 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा परन्तु अनुदान की अधिसीमा ₹ 2.00 लाख प्रति लाभुक/परिवार तक सीमित रहेगा। ऋण अथवा स्वलागत से लाभूकों द्वारा तालाब का निर्माण होने पर अनुदान देय होगा। इस वर्ष 300 हे0 नए तालाबों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है।

vi) **परिपूरक आहार की योजनाः–** राज्य में मत्स्य पालकों को मत्स्य उत्पादन में आशातीत अभिवृद्धि हेतु तालाब में परिपूरक आहार का प्रयोग करने हेतु 50 प्रतिशत अनुदान सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा ताकि राज्य में मछली के वजन में वृद्धि हो सके। इस योजना का लाभ केवल पूर्व से निर्मित तालाब में ही परिपूरक आहार प्रयोग करने वाले मत्स्य पालक/मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों को प्रदान की जायेगी। इस लाभ के लिए प्रति व्यक्ति/परिवार को केवल एक एकड़ जलक्षेत्र तक ही सीमित रखा गया है। अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आधार पर आहार आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया जाएगा, जिससे मत्स्य कृषकों के द्वारा आहार क्रय करने पर नियमानुसार अनुदान देय होगा। निर्धारित दर से अधिक मूल्य राशि होने पर लाभुक द्वारा शेष अतिरिक्त राशि का स्वयं वहन किया जाएगा। आहार क्रय का पक्का साक्ष्य एवं रसीद प्राप्त होने पर अनुदान का भुगतान आहार विक्रेता को किया जाएगा। इससे राज्य के अधिक से अधिक मत्स्य पालकों कों परिपूरक आहार उपयोग में लाने के लिए प्रोत्साहति किया जा सकेगा। लाभुक का चयन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में विज्ञापन निकालकर किया जाएगा। आवेदन पत्र लाभुकों द्वारा संबंधित जिला के जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित किया जाएगा। परिपूरक आहार हेतु अनुदान का भुगतान तीन किस्तों में क्षेत्रीय पदाधिकारी/कर्मचारी से स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त ही अगले किस्त की भुगतान किया जाएगा।

vii) इस योजना के तहत लाभूकों को अनुदान दोनों स्थिति में देय होगा, यदि लाभूक बैंक से ऋण ले अथवा परियोजना पर स्वयं वहन करें।

5) **<u>उपरोक्त प्रकल्पों के सफल कार्यान्वयन हेतु लाभुकों का चयन</u> :–**

i) आवेदक, आवेदन के साथ अपना फोटो, तालाब के जलक्षेत्र का विवरण, भूमिस्वामित्व प्रमाण पत्र/पट्टा की प्रति/तालाब का फोटो तथा स्वहस्ताक्षरित फोटो पहचान पत्र संलग्न करेंगे।

ii) जिस मत्स्य कृषक के पास अधिक जलक्षेत्र में तालाब होगा उन्हें इस योजनान्तर्गत चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। यदि समान जलक्षेत्र वाले एक से अधिक आवेदक होंगे तो पहले आवेदन देने वाले लाभूक का चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

iii) प्राप्त आवेदन पत्र की जाँच जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा अधीनस्थ क्षेत्रीय पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा की जाएगी तथा जाँच प्रतिवेदन के आधार पर लाभूकों का चयन किया जाएगा। उप मत्स्य निदेशक सम्पूर्ण योजना के वरीय प्रभार में होंगे एवं योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करायेंगे तथा प्रतिवेदन मत्स्य निदेशालय को समर्पित करेंगे।

iv) सभी वैध आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी तथा वर्ष 2013–14 में जिला के लक्ष्य के अनुरूप आवेदक का चयन इस योजनान्तर्गत किया जाएगा। लक्ष्य से अधिक प्राप्त आवेदनों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। फ्लोटिंग फिश फीड मिल के अधिष्ठापन हेतु आवेदक वित्तीय रूप से सक्षम होंगे और इस आशय का साक्ष्य सहित शपथ पत्र अपने आवेदन के साथ संलग्न करेंगे।

v) स्वलागत से योजना के कार्यान्वयन होने पर अनुदान का मत्स्य पालक विकास अभिकरण के प्रबंध समिति के अनुमोदनोंपरान्त भुगतान किया जाएगा। बैठक आहुत करने में अथवा कोरम पुरा नहीं होने के स्थिति में प्रबंध समिति के अनुमोदन के प्रत्याशा में जिला पदाधिकारी का अनुमोदन लेकर अनुदान का भुगतान किया जा सकेगा।

vi) योजना के प्रत्येक प्रकल्प में इकाई लागत एवं उसपर देय अनुदान निश्चित है। योजना के किसी प्रकल्प पर लाभुक द्वारा अधिक राशि व्यय किये जाने पर भी अनुदान योजनान्तर्गत निर्धारित सीमा तक ही देय होगा कम व्यय किये जाने पर वास्तविक व्यय पर ही अनुदान देय होगा।

vii) योजना के विभिन्न Components के लिए निर्धारित लक्ष्य और अनुदान की राशि को आवश्यकतानुसार या माँग के अनुसार विभाग के द्वारा अन्तर–परिवर्तित किया जा सकता है, यानि एक प्रोजेक्ट में राशि बचने की

संभावना हो तो उसका उपयोग दूसरे Object/Component पर किया जाएगा।

viii) उपर्युक्त सभी प्रकिल्पों में अनुदान बैकइंडिड होगा और लाभुक इस आशय का शपथ पत्र देंगे कि सम्पति (Assest) सृजित होने पर 5 वर्षों तक इसका सवंर्धन कर अपना आर्थिक उन्नति करेंगे।

ix) मुख्यालय स्तर से राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त लाभूकों का आवेदन जिला मत्स्य कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा।

6) इस योजना के तहत स्वीकृत राशि में से अनुसूचित जाति के लिए कर्णाकित राशि में ₹ 920.08 लाख (₹ नौ करोड़ बीस लाख आठ हजार) मात्र से अनुसूचित जाति के लाभूकों को विशेष घटक योजना के तहत लाभान्वित किया जायेगा। (व्यय विवरण–ख संलग्न)।

7) लाभको के चयन में यह सुनिश्चित किया जायगा कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभूको के चयन के लिए विशेष अंगीभूत योजना के तहत निर्धारित प्रतिशत के अनुसार व्यय किया जायेगा।

8) इस योजना के तहत राशि का विकलन (i) मुख्य शीर्ष 2405–मछली पालन उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–101– अन्तर्देशीय मछली पालन मांग सं0–02–उपशीर्ष–0104–तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, 33 01 – सब्सिडी, विपत्र कोड – P2405001010104 तथा (ii) मुख्य शीर्ष– 2405 मछली पालन उप मुख्य शीर्ष– 00 लघु शीर्ष– 789 अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना मांग संख्या– 02 उप शीर्ष– 0101 मछुआरों की सहायता विपत्र कोड– P2405007890101 के अधीन उपबंधित राशि से विकलनीय होगा। विभाग के द्वारा बैंकों का चयन एवं सब्सिडी अनुदान के रूप में कर्णाकित की जायेगी। इस योजना के तहत स्वीकृत राशि निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा चयनित बैंकों से प्राप्ति रसीद प्राप्त कर बी0टी0सी0 फार्म 42 पर निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे तथा सम्बन्धित बैंकों को उपलब्ध करायेंगे।

9) इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना होगे। निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी भी होगे।

10) दिनांक–29.11.13 को सम्पन्न योजना प्राधिकृत समिति के बैठक में तथा दिनांक–10.12.13 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद् संख्या–25 के रूप में शामिल करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है। संचिका सं0–6एस0एस0(6)57/2013 के पृ0–10–9/प0 पर रक्षित कार्यवाही एवं पृ0–8/टि0।

11) निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना इस योजना के सफल कार्यान्वयन एवं क्रियान्वयन हेतु पूर्णरूपेण जबावदेह होगे। साथ ही इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विभाग की सहमति से अलग से समय–समय पर दिशा–निर्देश भी जारी करेंगे।

12) निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना इस योजना के तहत व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

13) राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं0–6एस0एस0(6)57/2013 के पृष्ठ–15/ टि0 एवं डायरी सं0–शुन्य दिनांक–17. 01. 2014

14) वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक 05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

17/01/14

(उपेन्द्र नारायण महतो)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–6एस0एस0(6)57/2013 173 /पटना–15, दिनांक– 20/1/2014

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–6एस0एस0(6)57/2013 173 /पटना–15, दिनांक–20/1/2014

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना एवं बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–6एस0एस0(6)57/2013 173 /पटना–15, दिनांक–20/1/2014

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना को यह निदेश दिया जाता है कि वे अपने स्तर से अपने अधिनस्थ कार्यकारियों को इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी दिशा–निर्देश जारी करेंगे।

17/01/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–6एस0एस0(6)57/2013 173 /पटना–15, दिनांक–20/1/2014

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय बजट शाखा/मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–6एस0एस0(6)57/2013 173 /पटना–15, दिनांक–20/1/2014

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/योजना शाखा कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ / श्री सुनील कुमार शर्मा, कम्प्यूटर ऑपरेटर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–6एस0एस0(6)57/2013 173 /पटना–15, दिनांक–20/1/2014

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–6एस0एस0(6)57/2013 173 /पटना–15, दिनांक– 20/1/2014

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव के प्रधान आप्त सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

17/01/14

सरकार के अवर सचिव।

व्यय विवरणी (क)

वित्तीय वर्ष 2013–14 में मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना के सफल क्रियान्वयन पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणीः–

(राशि ₹ लाख में)

क्र0	मद् का नाम	योजना का कार्य विवरणी	इकाई लागत	अनुदान का प्रकार	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	स्वीकृत राशि
1	3301–सब्सिडी	(i)मत्स्य बीज हैचरी निर्माण (संख्या)	15.00	50%	50	375.00	4900.00
		(ii)फिश फीड मिल (संख्या)	**12.00**	**50%**	**15**	**90.00**	
		(iii)फ्लोडिंग फिश फीड मिल	**120.00**	**20%**	**05**	**120.00**	
		(iv)आर्द्र जल क्षेत्र में नये तालाबों का निर्माण (हे0)	**3.88**	**50%**	**1657**	**3215.00**	
		(v)मत्स्य आहार पर अनुदान (हे0)	**6.972**	**50% प्रति लाभूक/ परिवार अधिकतम ₹ 2.00 लाख**	**300**	**600.00**	
		(vi)मत्स्य आहार पर अनुदान (हे0)			**800**	**500.00**	
		योग					**4900.00**

(₹ उन्नचास करोड़ मात्र)

173/20.1.

7/01/14

(उपेन्द्र नारायण महतो)
सरकार के अवर सचिव

व्यय विवरणी (ख)

वित्तीय वर्ष 2013–14 में मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना अन्तर्गत मछुआरों की सहायता की योजना पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणीः–

(राशि ₹ लाख में)

क्र0	मद् का नाम	स्वीकृत राशि
1	2003–प्रशिक्षण	20.08
2	2701–लघु कार्य	100.00
3	3301–सब्सिडी	800.00
	योगः–	**920.08**

(₹ नौ करोड़ बीस आठ हजार मात्र)

व्यय का सारांश राशि लाख ₹ में

(1)व्यय विवरणी (क)–₹ 4900.00

(1)व्यय विवरणी (क)–₹ 920.08

कुल योग –₹ 5820.08

17/01/14

(उपेन्द्र नारायण महतो)

सरकार के अवर सचिव

173/20/1/1